

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधेश्याम पुत्र बेचू निशाद नि० ग्राम लिदेहना ग्रन्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-242/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय सिंह पुत्र वीर सिंह नि० पक्के कुआं गड़ौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-246/22, 02. श्रीराम सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह नि० पक्के कुआं गड़ौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-247/22, 03. रामपाल पुत्र छट्ठीदीन नि० ग्राम जालिमपुरवा मौजा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-249/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिवमंगल पुत्र सन्तराम नि० ग्राम चमारनडीह मौजा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-146/22, 02. मुरली पुत्र झगरू नि० बगिया गांव मौजा परसियारानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-147/22, 03. रामसागर पत्थरकट पुत्र रामचन्द्र पत्थरकट नि० ग्राम बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.07.2022

08 वर्ष से फरार, 25,000/- हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे । जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 16.07.2022 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त-इशितयाक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना इटियाथोक में पंजीकृत मु0अ0सं0-23/2014 धारा 376डी,504,50 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट में वांछित था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रू0 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानतीय वारण्ट भी जारी किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01.इशितयाक पुत्र इस्माइल नि0 बेलभरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-222/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.07.2022

मिशनशक्ति अभियान के तहत छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त गोलू को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 14.07.2022 को थाना को० नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ के साथ उसके घर में घुसकर छेडछाड किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार कर्ता:-

01. गोलू पुत्र ननके नि० पंतनगर फोरबिसगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-444/22, धारा 457,354 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता:-

उ०नि० वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.07.2022

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त श्रीराम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त चोरी की लाइट से मोटर चला रहा था जिसमें बिजली प्रवाहित होने से वादिनी जसोमता पत्नी निबबूलाल निवासिनी ग्राम घनश्यामपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के पति की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्रीराम गुप्ता पुत्र जगेसर नि० घनश्यामपुर ग्रन्ट गायघाट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—169/22, धारा 304,201,504 भादवि व 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० अधि० थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० अरुण कुमार गौतम मय टीम।